न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील संख्या 237/2015

सरोज पत्नी रमेश कुमार जाति अग्रवाल निवासी 90 लक्कड़ मण्डी श्रीगंगानगर ।

—अपीलार्थी

बनाम

1. सरपंच ग्राम पंचायत 9 जैड श्रीगंगानगर ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार श्रीगंगानगर। ——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 225 रा.का.अ. 1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर

दिनांक 30.07.2015

उपस्थितः—

श्री मोहनलाल माहर अभिभाषक अपीलार्थी

श्री इकबालसिंह सिद्धु राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 23.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि प्रार्थी/अपीलांट ने एक प्रार्थना पर उपखंड अधिकारी श्रीगंगानगर के समक्ष रा.का.अ. की धारा 251ए के तहत पेश कर कथन किया कि चक 5 बी छोटी के मु.नं. 44 के कि.नं. 11 से 14, 16 से 24 की 2.315 है0 प्रार्थी की भूमि खातेदारी है। उक्त भूमि में से 1.105 है0 भूमि कृषि भूमि से भट्टा हेतु संपरिवर्तन हो चुकी है। ईंट भट्टा में जाने हेतु पूर्व में कि.नं. 23 से 25 में रास्ता चालू था जिसे गांव वालो ने बंद कर दिया। अतः निवेदन है कि मु.नं. 44 के कि.नं. 23 से 25 में दो—दो बिस्वा रास्ता स्वीकृत किया जावे।

सुनवाई करने के पश्चात अधी. न्यायालय ने दिनांक 30.07.2015 को प्रार्थना पत्र इस आधार पर खारिज कर दिया कि प्रार्थी द्वारा जिस भूमि में से रास्ता चाहा है वह भूमि गैर मुमकिन हडडारोही व शमशान घोषित किया हुआ है। गैरमुमकिन

23/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थी ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट को अपनी भूमि में जाने हेतु अन्य कोई रास्ता उपलब्ध नहीं है, रास्ता का प्रार्थना पत्र खारिज करने से पूर्व कोई रिपोर्ट नहीं मंगवाई गई एवं डीएलसी की दुगनी राशि जमा कराने पर रास्ता स्वीकृत किया जा सकता है। अतः निवेदन है कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त करते हुए रास्ता स्वीकृत किया जावे।

विद्वान राजकीय अधिवक्ता ने अपनी बहस में कथन किया कि जिस भूमि में से अपीलांट ने रास्ता चाहा है वह भूमि गै.मु. हडडारोही व शमशान घोषित किया हुआ है। ऐसी स्थिति में उक्त भूमि में से रास्ता स्वीकृत नहीं किया जा सकता था। अधी. न्यायालय ने प्रार्थना पत्र खारिज करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया ।

अपीलार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र एवं अपील में यह स्वीकार किया है कि जिस भूमि में से रास्ता स्वीकृत करवाना चाहते है वह भूमि गै.मु. हडडारोही व शमशान घोषित किया हुआ है। इससे स्पष्ट है कि यह भूमि कृषि भूमि नहीं होकर गै.मु. हडडारोही व शमशान हेतु आरक्षित है। ऐसी भूमि में से रास्ता स्वीकृत किया जाने का कोई प्रावधान वकील अपीलांट ने न तो अधी. न्यायालय में पेश किया और न ही इस न्यायालय में पेश किया। ऐसी स्थिति में अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार योग्य नहीं होने से अस्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 23.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

23/1/18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)